प्राप्त न होने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तथा अब तक ऐसे पत्रों/पैकेटों का प्रतिशत कितना है ; और

(घ) सभी जिला मुख्यालयों को स्पीड पोस्ट सेवा तंत्र (नेटवर्क) के अन्तर्गत कब तक शामिल कर लिया जाने का विचार है ।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) (i) गुजरात में सभी 19 जिला मुख्यालयों और राजस्थान में 31 जिला मुख्यालयों में एक्सप्रेस पार्सल सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है ।

(ii) इस समय जिन जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनकी सूची नीचे दी गई है :—

गुजरात : अमरेली, भड़ौच, डांग, गोधरा, हिमंतनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, पालनपुर, सुरेन्द्रनगर और वलसाड ।

राजस्थान : बारन, बाड़मेर, भीलवाड़ा बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक ।

(ख) स्पीड पोस्ट वस्तुओं के देरी से वितरण अथवा वितरण न होने के विषय में यदा-कदा विभिन्न स्थानों से, जिसमें गुजरात और राजस्थान भी शामिल हैं, शिकायतें प्राप्त होती हैं । जब कभी ऐसी गलतियां ध्यान में आती हैं, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उन राज्यों में कुल परियात की तुलना में प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परियात	कुल परियात के संबंध में प्रतिशतता
गुजरात . . .	1992–93	1427	308936	0.04%
	1993–94	1134	411812	0.03%
राजस्थान . . .	1992–93	106	82263	0.01%
	1993–94	310	194830	0.01%

(घ) जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत एक अनवरत प्रक्रिया है और यह सेवा संभावित व्यवहार्यता और प्रचालनपरक औचित्य के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है ।

टेलीफोन डायरेक्टरी

871. **श्री गोविन्दराव आदिक :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नगरों की टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के संदर्भ में सरकार क्या मानदण्ड अपनाती है;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार को ध्यान में रखकर हर वर्ष डायरेक्टरी नहीं बन रही है; और

(ग) यदि हां, तो हर वर्ष नई डायरेक्टरी उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सभी गौण स्विचन क्षेत्रों (एस०एस०ए०) की टेलीफोन डायरेक्टरियों का मुद्रण प्रत्येक वर्ष किया जाना होता है दूरसंचार टेलीफोन जिलों (दूरसंचार जिला प्रबंधक और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के अधीन) की पीले पृष्ठों सहित डायरेक्टरियों का मुद्रण ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जाता है जबकि दूरसंचार जिलों (टेलीफोन जिला इंजीनियर के अधीन) की बिना पीले पृष्ठों की डायरेक्टरियों का मुद्रण विभाग द्वारा ही करवाया जाता है ।

(ख) और (ग) यद्यपि टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जानी होती है , परन्तु कुछ मामलों में ठेकेदारों की असफलता के कारण ये डायरेक्टरियां निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रकाशित नहीं हो पाती । ऐसे मामलों में, उन ठेकेदारों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें संविदा भी समाप्त किया जा सकती है । पीले पृष्ठ स्कीम के अंतर्गत जब कभी ठेकेदारों के माध्यम से डायरेक्टरियों के मुद्रण में अनुचित विलम्ब होता है तो उन्हें विभाग द्वारा मुद्रित करवाने के प्रयास भी किए जाते है ।

Report of Post office Act Review Committee

872. SHRI VIREN J. SHAH :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to State :

(a) whether the Post Office Act Review Committee has submitted its report ;

(b) if so, what are its main recommendations ;

(c) what are the details of recommendations which have been accepted by Government and those which have not been accepted and the reasons therefor ;

(d) whether the Union Government and the Courier Industry have decided to jointly work out the modalities for ending the Department of Posts' monopoly of postal servoices in the country ;

(e) if so, what are the details in this regard ; and

(f) whether Government propose to bring a suitable legislation amending the Post Office Act, if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The main recommendations are as follows :

(i) Partial relinquishment of the exclusive privilege of the Central Government to carry letters on obtaining licence under certain given terms and conditions.

(ii) Assumption of more liability by the Postal Department for operational failures.

(iii) Incorporation of suitable enabling provisions for introduction of new services and new category of Postal articles.

(iv) Modification of the regulations relating to treatment of undelivereable postal articles.

(c) So far no decision has been taken by the Government.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise .

(f) The Government propose to bring an amendment Bill, details of which have not been finalised .